

# न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनू

नाम पीटासीन अधिकारी:- ओमप्रकाश सिंघल

निर्णय दिनांक :- 28.10.2022

सरकार बनाम उदमीराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी रामनगर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनू

मुकदमा नम्बर :-127 /2022

किस्म मुकदमा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक :- 28.10.2022

## :- आदेश :-


भू.अ. निरीक्षक बडागांव एवं पटवारी पटवार हल्का नाटास द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि ग्राम रामनगर के भूमि ख.न.105 रकबा 0.40 है0 किस्म, गै0मु0 नदी में से 0.40 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिक्रमी उदमीराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी रामनगर द्वारा उक्त भूमि पर जोत लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी /अतिक्रमी बाबजुद नोटिस तामिल के उपस्थित नहीं तथा अप्रार्थी/अतिक्रमी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी हल्का, एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा ग्राम रामनगर के भूमि ख.न.105 रकबा 0.40 है0 किस्म, गै0मु0 नदी में से 0.40 है0 भूमि पर अप्रार्थी/अतिक्रमी उदमीराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी रामनगर द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण होने के कारण प्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा भू0अ0 निरीक्षक बडागांव को इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 1.00 का 50 गुणा 50/- रुपये मात्र बतौर शास्ती जुर्माना राशि आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक.....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
नायब तहसीलदार, गुढागौड़जी  
नायब तहसीलदार गुढागौड़जी

